

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री आर०पी० गुर्जर।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

फरियादी मनोज एवं आहत दुर्गेश की ओर से मनीराम उपस्थित।

उभय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुये प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से उभय पक्षों के मध्य विवाद का पूर्ण रूप से निराकरण होना संभव प्रतीत होता है। अतः न्याय दृष्टांत Afcons Infrastructure Limited Vs Cheriyan Varkey Construction Company private Limited (2010)8 SSC 24 में दिए गए निर्देश के अनुसार मध्यस्थता के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है।

उभयपक्षों से मध्यस्थता के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा प्रशिक्षित मध्यस्थ श्री गोपेश गर्ग, जे०एम०एफ०सी० गोहद का चुनाव किया है।

अतः मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उभय पक्षों व उनके अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर कर मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को भेजा जाये। मध्यस्थ को निर्देशित किया जाता है कि वे मध्यस्थता का परिणाम सफल/असफल जो भी हो आगामी नियत दिनांक तक सूचित करें।

उभयपक्ष मध्यस्थता हेतु मय अधिवक्तागण के प्रशिक्षित मध्यस्थ के समक्ष आज दिनांक 16.11.16 को दिन में 2:30 बजे स्वतः उप० रहें।

प्रकरण आगामी दिनांक 21.12.16 को मीडियेशन कार्यवाही के प्रतिवेदन की प्रस्तुती हेतु पेश हो।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class

Gohad distt. Bhind (M.P.)

पुनश्च:

उभयपक्ष पूर्ववत।

मध्यस्थता न्यायालय से मध्यस्थता कार्यवाही सफल होने की सूचना प्राप्त

फरियादी की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द०प्र०स० राजीनामा हेतु अनुमति बाबत् मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320-2 एवं आहत दुर्गेश की ओर से धारा 320-4 फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र सहित प्रस्तुत किया गया। फरियादी पक्ष की पहचान अधिवक्ता श्री बी०एस० गुर्जर एव अभियुक्त की पहचान उसके अधिवक्ता श्री आर०पी० गुर्जर द्वारा की गई।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी मनोज एवं आहत दुर्गेश की ओर से उसके पिता मनीराम ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों के

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। आवेदक मनीराम आहत नाबालिग दुर्गेश का पिता होकर उसकी ओर से राजीनामा करने में सक्षम हैं।

अभियुक्त पर भा0द0वि0 की धारा 323 दो काउण्ट, 506 भाग-2 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जिसमे से धारा 506 बी न्यायालय की अनुमति से शमनीय है जबकि शेष स्वयं फरियादी एवं आहत द्वारा शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को धारा 323 दो काउण्ट एवं 506 भाग-2 भा0द0वि0 के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्त के प्रतिभूति व बधपत्र भारमुक्त किए जाते है। प्रकरण मे कोई संपत्ति जब्त नहीं।

आगामी नियत दिनांक निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख मे दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में प्रेषित हो।

(AK Gupta)

Judicial Magistrate Class

Gohad District Bhind (M.P.)